

जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद महाराजगंज की ग्रामीण पेयजल योजनाओं की स्वीकृति हेतु 22.02.2023 को जिलाधिकारी महाराजगंज/अध्यक्ष DWSM की अध्यक्षता में आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद महाराजगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु फेज-3 में चयनित फर्म में 0 रिथविक कोया (जे.वी.) प्लॉट नं०- 37.39 नवोदया कालोनी, रोड नं०-2, बंजारा हिल हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत 2 नग डी0पी0आर के तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत हेतु अनुमोदन का प्रस्ताव:-

जनपद महाराजगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना के निर्माण एवं संचालन/अनुरक्षण (10 वर्ष) हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा फेज-3 हेतु फर्म में 0 रिथविक कोया (जे.वी.) प्लॉट नं० 37-39 नवोदया कालोनी, रोड नं०-2, बंजारा हिल हैदराबाद, तेलंगाना को 652 राजस्व ग्राम आवांटित किये गये हैं। जिसके सम्बन्ध में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनुमोदनोपरान्त राजस्व ग्रामों की सूची उपलब्ध कराते हुए तत्काल डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में जल जीवन मिशन फेज-3 अन्तर्गत 644 राजस्व ग्रामों के 376 नग डी0पी0आर0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित किये जा चुके हैं।

वर्तमान में फेज-3 अन्तर्गत फर्म में 0 रिथविक कोया (जे.वी.) द्वारा 2 नग डी0पी0आर0 प्रस्तुत किये गये जिसमें 2 ग्राम पंचायतों के 2 राजस्व ग्रामों की कुल 17 बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करते हुए कुल 2001 घरों को FHTC प्रदान किया जाना है।

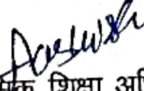
बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)/सदस्य सचिव जिला पेयजल स्वच्छता मिशन समिति द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-3 अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये 2 नग डी0पी0आर0 विद्युत आधारित है। उक्त डी0पी0आर0 में से फेज-3 अन्तर्गत 2 नग डी0पी0आर नामतः मथुरानगर एवं घघरूआ खंडेसर पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 में प्रति व्यक्ति लागत अनुमन्य सीमा रु० 6400.00 प्रति व्यक्ति के अन्तर्गत है।

इसी प्रकार अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 344/W-17/2020-21 दिनांक 04जून,2021 (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार विद्युत से संचालित नलकूप के प्रकरण में 16 घंटे Pumping Hours मानते हुये डी0पी0आर0 का विरचन किया गया है व वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि हेतु यथा संशोधित निर्देशों के क्रम में अनुमन्य सीमा 80 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत की सीमा के अनुसार डी0पी0आर0 का विरचन किया गया है। उक्त समस्त डी0पी0आर0 में कार्यालय ज्ञाप संख्या 1499/E-46/2021 दिनांक 12 फरवरी, 2021 (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार DI/ HDPE Pipe का प्राविधान किया गया है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त डी0पी0आर0 में लगायी गयी दरें जल निगम की अन्तिम SOR (2019-20) की दरों से लगभग 10-20% तक अधिक है। दिनांक 12.04.2022 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में सम्बन्धित ग्राम पंचायत (ग्राम प्रधान/सचिव) से इस विषय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है कि इण्डेक्स प्लान के अनुसार ग्राम में कोई भी क्षेत्र पेयजल की सुविधा से वंचित नहीं रहेगा, अर्थात् शतप्रतिशत बस्तियों को पाइप पेयजल से संतृप्त करने हेतु सम्मिलित कर लिया गया है।

निर्णय:- अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, महाराजगंज द्वारा
कृ-3 अन्तर्गत 2 ग्राम पंचायतों के 2 राजस्व ग्रामों की कुल 17 बस्तियों को पाइप पेयजल योजना
से आच्छादित करने हेतु 2 नग डी0पी0आर0 की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से करने
हेतु अनुमोदन पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी एवं अवशेष डी0पी0आर0 शीघ्र प्रस्तुत कराये
जाने के निर्देश दिये गये।


अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण),
महाराजगंज

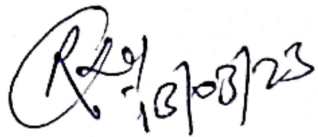

जिला विकास अधिकारी
महाराजगंज


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महाराजगंज

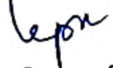

जिला कृषि अधिकारी
महाराजगंज


जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी
महाराजगंज


अधिशासी अभियन्ता
सिचाई खण्ड प्रथम
महाराजगंज


परियोजना निदेशक
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
महाराजगंज


मुख्य चिकित्साधिकारी
महाराजगंज


प्रभागीय विनाधिकारी
महाराजगंज


मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष DWSM
महाराजगंज


जिलाधिकारी/अध्यक्ष DWSM
महाराजगंज